बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः– 2/अ0प्र0–1–78/17 1580 /पटना, दिनांक :– 20/10/21

श्री जयमंगल रविदास, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिना प्रशासनिक स्वीकृति एवं बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के फेसर पचरूखिया (उन्थु) से इब्राहिमपुर भाया परसी पथ के मरम्मति कार्य की निविदा प्रकाशन एवं निविदा निष्पादन करने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 737 दिनांक 20.03.19 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

उक्त के प्रसंग में श्री रविदास से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 11.02.2021 की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि अभियंता प्रमुख के पत्रांक 96 (अनु0) दिनांक 19.01.2015 के साथ संलग्न सूची, जिसमें प्रश्नगत पथ भी अंकित है, के पथों का कार्यकारी प्राक्कलन तीन दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसमें अंकित कतिपय अनुदेशों में यह भी अंकित था कि सभी पथों का कार्यकारी प्राक्कलन तैयार कर एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। उक्त के आलोक में कार्य प्रमंडल औरंगाबाद द्वारा विषयांकित पथ का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को समर्पित किया जाना था किन्तु अभियंता प्रमुख के पत्र में अंकित दिशा–निर्देश को भ्रमवश प्रशासनिक आदेश मानते हुए कार्य प्रमंडल औरंगाबाद द्वारा दिनांक 18.04.215 को प्राक्कलन के साथ परिमाण विपत्र भी स्वीकृति हेतु अंचल कार्यालय को समर्पित कर दिया गया। परिमाण विपत्र के अनुमोदन के पश्चात कार्यपालक अभियंता द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 29.04.15 को उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित की गई। दिनांक 25.05.2015 को प्राप्त इस निविदा के तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 22.06.2015 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल कार्यालय में समर्पित किया गया। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल औरंगाबाद की अनुशंसा के आलोक में अन्ततोगत्वा लॉटरी के आधार पर निविदा के वित्तीय बीड का अन्तिम रूप से निष्पादन करते हुए मुख्य अभियंता–1 द्वारा सफल उम्मीदवार को कार्य आवंटन कर दिया गया।

कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनमा सम्पन्न करने के पूर्व विभाग से अधियाचित आवंटन प्राप्त नहीं होने पर पर कार्यपालक अभियंता को कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन के बारे में भ्रम दूर हुआ, फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वविवेक का परिचय देते हुए इस भूल का सुधार कर लिया गया और एकरारनामा सम्पन्न न कर पत्रांक 1710 दिनांक 31.12.2015 द्वारा निविदा को रद्द कर दिया गया। एकरारनामा न होने से कोई कार्य संपादन नहीं हुआ एवं इस प्रकार सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा। उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रविदास का स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य पाया गया।

अतः श्री जयमंगल रविदास, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

20.10.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

(P.N) Phone-0612,2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–78/17 1580 /पटना, दिनांक:– 20.10.21

प्रतिलिपि:– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री जयमंगल रविदास, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता– मो0–संजय नगर (न्यू विग्रहपुर), रोड नं0–4, डाकघर–जी0पी0ओ0 पटना, थाना–जक्कनपुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–78/17 1580 /पटना, दिनांक :– 20.10.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.10.21

उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@